(पॉलिसी वर्ष 2016-17 के लिए) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले (संशोधित) प्रश्न

प्रश्न सं-1 योजना की प्रकृति क्या है?

यह एक वर्ष की टर्म जीवन बीमा कवर योजना है, जो वर्ष दर वर्ष नवीनीकरणीय है, और जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर दिया जाता है।

प्रश्न सं-2 योजना के अंतर्गत लाभ और देय प्रीमियम क्या होगा?

किसी भी कारणवश अभिदाता की मृत्यु होने पर 2 लाख रु. देय है। प्रीमियम राशि 330/- रु. प्रति अभिदाता प्रति वर्ष है|

प्रश्न सं-3 प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाएगा?

नामांकन में दी गयी सहमति के अनुसार यह प्रीमियम राशि खाताधारक के बैंक खाते से "ऑटो डेबिट" सुविधा के अनुसार एक किस्त में काट ली जाएगी। योजना के अनुभव की समीक्षा के दौरान पुनःजांच में आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन के अध्यधीन सदस्य योजना के लागू रहने तक प्रति वर्ष "ऑटो डेबिट" का एकबारगी अधिदेश भी दे सकते हैं।

प्रश्न सं-4 योजना को प्रस्तावित/संचालित कौन करेगा?

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रस्तुत/उनके द्वारा प्रशासित है तथा अन्य इच्छुक जीवन बीमा कंपनियाँ, आवश्यक मंजूरी के बाद सहभागी बैंकों के सहयोग से समान शर्तों पर उत्पाद प्रदान कर सकती है। सहभागी बैंक अपने अभिदाताओं के लिए योजना कार्यान्वित करने हेतु किसी ऐसी जीवन बीमा कंपनियों को सम्बद्ध करने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्रश्न सं-5 अभिदान के लिए कौन पात्र होगा?

सहभागी बैंकों के सभी बैंक खाताधारक (एकल/संयुक्त), जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है, इसमें शामिल होने के लिए पात्र होंगे। किसी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कई खाते हों, तो ऐसे मामलों में, वह व्यक्ति केवल एक खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा।

प्रश्न सं-6 नामांकन की अवधि तथा विधि क्या है?

प्रारंभ में, 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक की कवर अवधि के लिए, अभिदाताओं को 31 मई, 2015 तक योजना में अपना नामांकन करवाना था तथा 31 मई, 2015 तक, ऑटो-डेबिट की सहमति देनी थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई, 2016 कर दिया गया। वह अभिदाता जो एक वर्ष के बाद भी इस योजना में बने रहना चाहता है, उस अभिदाता से यह अपेक्षा है कि प्रत्येक

उत्तरवर्ती वर्षों में 31 मई से पूर्व ऑटो-डेबिट हेतु अपनी सहमति दे दे। इस तिथि के पश्चात् लंबित नवीकरण पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर संभव होगा जो बीमा कवरेज के संबंध में शर्तों के परिवर्तन के अध्यधीन होगा।

प्रश्न सं-7 वर्ष 2016-17 में नए अभिदाताओं के लिए प्रयोज्य बीमा कवरेज की शर्तों में क्या परिवर्तन किए गए हैं?

01 जून, 2016 को या इसके पश्चात् पहली बार नामांकन करने वाले अभिदाताओं के लिए बीमा लाभ योजना में नामांकन की तारीख से प्रथम 45 दिन के दौरान (दुर्घटना के अलावा अन्य किसी कारण से) होने वाली मृत्यु के लिए उपलब्ध नहीं होगा। दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु का कवरेज बीमा कवरेज के पहले दिन से ही उपलब्ध होगा।

प्रश्न सं-8 क्या वे पात्र व्यक्ति, जो प्रारम्भिक वर्ष में योजना में शामिल नहीं हो पाए, बाद के वर्षों में योजना में शामिल हो सकते हैं?

जी हाँ, ऑटो-डेबिट से प्रीमियम का भुगतान करके। आगामी वर्षों में नए पात्र सदस्य इसी प्रकार शामिल हो सकते हैं। तथापि, ऐसे अभिदाताओं के लिए बीमा लाभ योजना में नामांकन की तारीख से प्रथम 45 दिन के दौरान (दुर्घटना के अलावा अन्य किसी कारण से) होने वाली मृत्यु के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

प्रश्न सं-9 क्या जो व्यक्ति योजना छोड़ जाते हैं वे पुनः इसमें शामिल हो सकते हैं?

इस योजना से बाहर निकलने वाला व्यक्ति किसी भी समय, भविष्य के वर्षों में, वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके इस योजना में फिर से शामिल हो सकता है। तथापि, ऐसे अभिदाताओं के लिए बीमा लाभ योजना में नामांकन की तारीख से प्रथम 45 दिन के दौरान (दुर्घटना के अलावा अन्य किसी कारण से) होने वाली मृत्यु के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

प्रश्न सं-10 योजना के लिए मास्टर पॉलिसी धारक कौन होगा?

सहभागी बैंक मास्टर पॉलीसी धारक होंगे। सहभागी बैंक के साथ परामर्श के पश्चात्, जीवन बीमा निगम/चयनित बीमा कम्पनी द्वारा एक सरल और ग्राहक अनूकूल प्रशासन और दावा निपटान की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है।

प्रश्न सं-11 सदस्य के जीवन के संबंध में बीमा कब समाप्त होगा?

सदस्य के जीवन का बीमा निम्नलिखित घटनाओं में से किसी भी एक घटना घटने पर समाप्त होगाः i. 55 साल की उम्र (निकटतम जन्म दिन) होने पर बशर्ते यह कि उस तिथि (प्रवेश, हालांकि, 50 वर्ष की आयु परे संभव नही होगा) तक वार्षिक नवीनीकरण हो। ii. बैंक के साथ खाता बंद होने पर या बीमा कवर चालू रखने हेतु पर्याप्त राशि न होने पर। iii. यदि सदस्य

एलआईसी/अन्य कम्पनी के साथ एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया गया है और एलआईसी/अन्य कम्पनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है तो उस स्थिति में बीमा कवर 2 लाख रु. तक सीमित होगा तथा दूसरे बीमा के प्रीमियम को जब्त किया जा सकता है।

प्रश्न सं-12 बीमा कंपनी तथा बैंक की क्या भूमिका होगी?

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) या किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी, जो बैंक/बैंकों की सहभागिता से उत्पाद प्रदान करना चाहती है, के माध्यम से प्रस्तुत/प्रशासित की जाएगी। ii. दिए गए विकल्प के अनुसार खाताधारकों से देय तिथि पर या उससे पूर्व ऑटो-डेबिट प्रक्रिया द्वारा नियत प्रीमियम की किस्त वसूलने तथा बीमा कंपनी को देय राशि अंतरित करने की ज़िम्मेदारी सहभागी बैंक की होगी। iii. सहभागी बैंक द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा में नामांकन फार्म/ऑटो-डेबिट प्राधिकार फॉर्म/सहमति-सह-घोषणा पत्र प्राप्त किए जाएँगे तथा रखे जाएँगे। दावों के मामलों में, एलआईसी/बीमा कम्पनी इन्हें प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है। एलआईसी/बीमा कम्पनी को किसी भी समय इन दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार है।

प्रश्न सं-13 प्रीमियम का विनियोजन कैसे होगा?

क. एलआईसी/अन्य बीमा कम्पनी को बीमा प्रीमियमः 289/- रु. प्रति वर्ष प्रति सदस्य;
ख. बीसी/माइक्रो/कॉरपोरेट/अभिकर्ताओं को व्यय की प्रतिपूर्तिः 30/- रु. प्रति वर्ष प्रति सदस्य;
ग. सहभागी बैंको को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्तिः 11/- रु. प्रति वर्ष प्रति सदस्य।

प्रश्न सं-14 क्या अभिदाता का यह कवर, किसी अन्य बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त कवर के अतिरिक्त होगा?

जी, हां।

प्रश्न सं-15. क्या संयुक्त बैंक खाते के सभी खाताधारक उक्त खाते के जरिए योजना में शामिल हो सकते हैं?

संयुक्त खाते के मामले में उक्त खाते के सभी खाताधारक योजना में शामिल हो सकते हैं बशर्ते कि वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हों और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 330 रुपए की दर से प्रीमियम का भुगतान करते हैं।

प्रश्न सं-16. क्या पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत एनआरआई कवरेज के लिए पात्र हैं?

कोई भी एनआरआई, जिसका भारत में स्थित किसी बैंक शाखा में पात्र बैंक खाता हो, पीएमजेजेबीवाई कवरेज लेने के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि वे योजना से संबंधित शर्तों को पूरा करते

हों। तथापि, यदि दावा उत्पन्न होता है, तो दावा लाभ लाभार्थी/नामिती को केवल भारतीय मुद्रा में दिया जाएगा।

प्रश्न सं-17. पीएमजेजेबीवाई में सदस्यता के लिए कौन से बैंक खाते पात्र हैं?

संस्थागत खाताधारकों के अलावा सभी बैंक खाताधारक पीएमजेजेबीवाई योजना में सदस्यता के लिए पात्र हैं।

प्रश्न सं-18. क्या पीएमजेजेबीवाई प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक उथल-पुथल के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु को कवर करती है? आत्महत्या/हत्या के कवरेज के संबंध में क्या है?

उपर्युक्त सभी घटनाएं पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत किसी भी कारण से मृत्यु के अंतर्गत शामिल है।

प्रश्न सं-19. क्या पीएमजेजेबीवाई पॉलिसियां विदेशी बीमा कंपनियों के सहयोग से आरंभ की जा रही हैं तथा इस संबंध में सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं?

कोई विदेशी बीमा कंपनी भारत में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत नहीं है। बीमा अधिनियम तथा आईआरडीए विनियम के द्वारा यथा अनुमत कुछेक विदेशी बीमा कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में हैं, जिसमें विदेशी बीमाकर्ताओं के शेयर को 49% तक सीमित रखा गया है।

प्रश्न सं-20. अन्य जीवन बीमा उत्पादों के विपरीत पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत लाभ बीमित की मृत्यु पर ही बीमित के नामिती को देय है। इसमें परिपक्वता लाभ या अभ्यर्पण मूल्य क्यों नहीं है, जो सामान्य जीवन बीमा पॉलिसियों में उपलब्ध है?

पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवर केवल मृत्यु के लिए है अतः लाभ केवल नामिती को दिया जाएगा। पीएमजेजेबीवाई एक पूर्ण टर्म बीमा पॉलिसी है जो केवल मृत्यु को कवर करती है और इसमें कोई निवेश संघटक नहीं है। अन्य जीवन बीमा पॉलिसियों, जिनमें परिपक्वता लाभ, अभ्यर्पण मूल्य आदि उपलब्ध है, की तुलना में तदनुसार इसका प्रीमियम कम है। इसे समाज के कमजोर वर्गों को जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। इस लक्ष्य के साथ निवेश संघटक को समाप्त करते हुए प्रीमियम को कम रखा गया है।

प्रश्न सं-21. क्या पीएमजेजेबीवाई योजना, जिसे आक्रामक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है और बड़ी संख्या में बेचा जा रहा है, के द्वारा भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम में शामिल विदेशी बीमा कंपनियों, जिन्होंने जीवन बीमा कंपनियां आरम्भ की हैं और इस जीवन बीमा कवर के संबंध में कार्य कर रही हैं, को भारी लाभ हो रहा है?

बीमा अधिनियम में निर्धारित केवल भारतीय बीमा कंपनियां ही भारत में कारोबार कर सकती हैं। भारत में कार्यरत ऐसी सभी बीमा कंपनियों, जिसमें 49% की अधिकतम सीमा के भीतर विदेशी भागीदार वाली कंपनियां भी शामिल हैं, की सभी पॉलिसीधारक निधियों को विनियम के अनुसार भारत में ही निवेश किया जाना है और इसे विदेश में निवेश नहीं किया जा सकता। पीएमजेजेबीवाई के लिए प्रभारित प्रीमियम का निर्धारण सभी जोखिम घटकों, वर्तमान मृत्यु दर तथा प्रतिकूल चयन को ध्यान में रखते हुए बीमांकक परिकलन के आधार पर किया गया है। इस प्रकार इस योजना से भारी लाभ की कोई संभावना नहीं है।

प्रश्न सं-22. पीएमजेजेबीवाई के साथ विदेशी बीमा कंपनियां क्यों संबद्ध हैं, जबकि एलआईसी, जो सरकार के स्वामित्व वाला निगम है, सरकार द्वारा आरंभ की गयी इस योजना का प्रबंधन कर सकता है?

भारत में 24 जीवन बीमा कंपनियां कार्यरत हैं, जिन्हें भारत में जीवन बीमा कारोबार करने के लिए आईआरडीएआई द्वारा लाइसेंस दिया गया है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा ग्राहकों को बेहतर मूल्य निर्धारण तथा सेवा प्रदान करने के लिए इन सभी कंपनियों को इसमें शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, ये सभी कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियां हैं। उनके विदेशी भागीदार, यदि कोई हो, का इन कंपनियों में केवल 49% की निर्धारित सीमा के अंतर्गत शेयर है। तथापि, एलआईसी अभी भी योजना के कार्यान्वयन में शामिल मुख्य बीमाकर्ता है।

प्रश्न सं-23. दावों के निपटान न किए जाने के मामलों में क्या भारत में विदेशी बीमाकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना संभव है?

कोई विदेशी बीमा कंपनी भारत में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत नहीं है। विनियम के द्वारा यथा अनुमत कुछेक विदेशी बीमा कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में हैं, जिसमें विदेशी बीमाकर्ताओं के शेयर को 49% तक सीमित रखा गया है। परिभाषा के अनुसार ये कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियां हैं। ये सभी कंपनियां भारतीय कानून के अधीन हैं और इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने में कोई रूकावट नहीं है।

प्रश्न सं-24. क्या प्रीमियम की दरें बढ़ सकती है या भविष्य में कंपनियां इस योजना को बंद कर सकती हैं?

बीमा अन्य उत्पाद की तरह ही है। हालांकि भवष्यि में इसकी दर बढ़ सकती है पर भारत में 24 बीमा कंपनियों के कार्यरत होने से इन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य के स्थिर रहने की संभावना है। यह आशा है कि पीएमजेजेबीवाई कवर के स्वरूप तथा इस मूल्य के साथ यह योजना व्यवहार्य बनी रहेगी और इस योजना के बंद होने की बहुत कम संभावना है। किसी भी मामले में यदि कोई विशेष कंपनी इस योजना को बंद करती है, तो बैंकों के पास अन्य बीमा कंपनियों के साथ सम्बद्ध होने के कई अन्य विकल्प हैं।

*****